प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(खण्ड न्यायपीठ)

कोरम : माननीय श्री लाल चंद भादू, न्यायधीश और
माननीय श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, न्यायधीश

दांडिक अपील क्र. 345/2003

खोरबहरा वर्मा और अन्य

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

विचारार्थ प्रस्तुत

सही/–
वी.के.श्रीवास्तव
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री न्यायमूर्ति लाल चंद भादू

सही/–
एल.सी.भादू
न्यायाधीश

तर्क घोषणा हेतु नियत : 07/02/2006

सही/–
न्यायाधीश
07/02/2006

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(खण्ड न्यायपीठ)

कोरम : माननीय श्री लाल चंद भादू, न्यायधीश और
माननीय श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, न्यायधीश

<u>दांडिक अपील क्र. 345/2003</u>

1. **खोरबहरा वर्मा**, पिता बाबूलाल, आयु 50 वर्ष
2. **तनेश्वर वर्मा**, पिता खोरबहरा, आयु 26 वर्ष
3. **डालेश्वर वर्मा**, पिता खोरबहरा, आयु 20 वर्ष

उपरोक्त सभी अपीलकर्ता ग्राम झबड़ी, पुलिस थाना कसडोल, जिला रायपुर (छ.ग.)

...अपीलकर्तागण (जेल में)

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना, कसडोल, जिला रायपुर (छ.ग.)

...उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:

श्री राजीव श्रीवास्तव तथा श्री शिव कुमार गुहा, अपीलार्थीगण के अधिवक्ता

श्री आशीष शुक्ला, अतिरिक्त लोक अभियोजक तथा श्री अखिल मिश्रा, उत्तरवादी/राज्य के लिए पैनल अधिवक्ता।

<u>निर्णय</u>

(07/02/2006 को पारित)

<u>विजय कुमार श्रीवास्तव, न्यायाधीश के अनुसार</u>

यह अपील द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बलौदा बाजार, जिला रायपुर द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 319/02 में दिनांक 19-2-2003 को पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दंडनीय समान आशय से हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराया था तथा प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 1,000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया था, अर्थदंड न चुकाने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया था।

(2) इस अपील के संक्षिप्त निपटारे के लिए आवश्यक तथ्य यह है कि लालजी व अन्य ने खसरा क्र. 777 क्षेत्रफल 0.316 हेक्टेयर वाली वादग्रस्त भूमि पर मालिकाना हक की घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के

लिए अपीलकर्ता तिलेश्वर, डालेश्वर व अन्य के खिलाफ द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बलौदा बाजार की न्यायालय में व्यवहार वाद दायर किया था। व्यवहार वाद व्यवहार वाद क्र. 1 ए/2000 के रूप में पंजीकृत किया गया था और 10–12–2001 को इसका निर्णय हुआ था। न्यायालय ने अपीलकर्ता तिलेश्वर और डालेश्वर को मालिक मानते हुए वाद खारिज कर दिया, जिनके पास वादग्रस्त की जमीन का कब्जा है। 25–8–2002 को मृतक रामकीर्तन उस स्थान पर गया था जिसे अन्न भंडार (ब्यारा) के रूप में जाना जाता है, अपीलकर्ताओं और उसके साथी द्वारा ब्यारा में गोलू तथा उसकी दादी रामकीर्तन कि सहायता करने हेतु वहाँ उपस्थित थे। काटे गए काँटे को रखने के लिए गया सुबह करीब 9.30 बजे, अपीलार्थीगण मुक्तेश्वर और तिलेश्वर के साथ कुल्हाड़ी, लाठी और चाकू लेकर वहां आए और रामकीर्तन को जान से मारने की आशय से अपने पास मौजूद हथियारों से उस पर हमला कर दिया। रामकीर्तन गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सुरेंद्र उर्फ गोलू ने यह घटना देखी और अपने पिता को बुलाने के लिए घर की ओर दौड़ा। रामकुमार को घटना की जानकारी मिलते ही वह भागकर अन्न भंडार पहुंचा, जहां उसने अपने भाई रामकीर्तन का शव देखा, जिसके सिर और गर्दन पर कुल्हाड़ी से कई चोटें लगी थीं। शव खून से लथपथ पड़ा था। वह कोटवार के पास गया और भुनेश्वर को घटना की जानकारी दी। गोविंद, रामशरण, भुनेश्वर और अन्य लोग आए और शव को देखा। वे रामकुमार के साथ कसडोल पुलिस थाने गए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(3) रामकुमार ने एफआईआर और मर्ग सूचना दर्ज कराई। एम.आर. सिन्हा, सहायक पुलिस उपनिरीक्षक ने मर्ग सूचना और एफआईआर दर्ज की, एफआईआर और मर्ग सूचना दर्ज करने के बाद एम.आर. सिन्हा घटनास्थल पर गए, जहां उन्होंने रामकीर्तन का मृत शरीर पाया। पंच गवाहों को बुलाने के बाद उन्होंने मृत शरीर का पंचनामा तैयार किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उन्होंने सादी मिट्टी, खून से सनी मिट्टी एकत्र की, घटनास्थल का नक्शा तैयार किया और कुछ गवाहों के बयान दर्ज किए। आगे की जांच लंबोदर पटेल, पुलिस उपनिरीक्षक ने की, जिन्होंने तनेश्वर, डालेश्वर और खोरबहरा के मेमोरेंडम बयान दर्ज किए और उनके प्रकटीकरण कथनों के आधार पर आरोपी तनेश्वर से एक कुल्हाड़ी, आरोपी डालेश्वर से एक लाठी और आरोपी खोलबहरा से एक और कुल्हाड़ी बरामद की और इन सभी वस्तुओं को जप्त कर लिया। उन्होंने दोनों कुल्हाड़ियों को परीक्षण और राय के लिए चिकित्सा अधिकारी के पास भेज दिया। उन्होंने कुछ गवाहों के बयान भी दर्ज किए।

(4) डॉ.वाई.के. शर्मा ने मृतक रामकीर्तन के शव का पोस्टमार्टम किया। उन्होंने उसके शरीर पर कई चोटें पाईं और अपनी रिपोर्ट में उन सभी चोटों का वर्णन किया। उनके अनुसार, मृत्यु का कारण रीढ़ की हड्डी और रक्त वाहिकाओं में चोट के कारण हृदय गति रुकना था। मृत्यु मानववध प्रकृति की थी। उन्होंने दोनों कुल्हाड़ियों की भी जांच की और दोनों कुल्हाड़ियों को अपनी रिपोर्ट के साथ सीलबंद हुई अवस्था में लौटा दिया। उन्होंने मृतक के खून से सने बनियान और शव से फुल पैंट भी एकत्र किया और इन वस्तुओं को पुलिस थाना, कसडोल भेज दिया। दोनों कुल्हाड़ियों को अपीलकर्ता खोरबहरा और तनेश्वर से बरामद और जप्त कर लिया गया। मृतक की सादी मिट्टी, खून से सनी मिट्टी और खून से सनी बनियान को जांच के लिए न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया। सहायक रासायनिक परीक्षक ने इन वस्तुओं की जांच करने के बाद रिपोर्ट दी कि सादी मिट्टी को छोड़कर, अन्य सभी वस्तुएं खून से सनी हुई थीं। जांच पूरी करने के बाद थाना प्रभारी कसडोल ने खोरबहरा, तनेश्वर, तिलेश्वर और डालेश्वर के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बलौदा बाजार के न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया तथा मुक्तेश्वर के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष मामला पेश किया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(5) दोनों मामलों को विचारण के लिए सत्र न्यायालय को उपार्पित किया गया। चूँकि दोनों मामले एक ही घटना से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनका संयुक्त रूप से विचारण किया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और धारा 34 के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए, अपीलकर्ताओं को पढ़कर सुनाया गया और समझाया गया। अपीलकर्ताओं ने निर्दोष होने का अभिभावक करते हुए यह तर्क दिया कि भूमि विवाद के कारण उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने साक्ष्यों का समुचित मूल्यांकन करने के पश्चात् तिलेश्वर और मुक्तेश्वर के विरुद्ध आरोप को संदेह से परे साबित नहीं पाया, इसलिए, इन दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत आरोप से बरी कर दिया, लेकिन अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत दंडनीय अपने समान आशय के अग्रसरण में रामकीर्तन की हत्या करने के लिए दोषी ठहराया और इसलिए, उन्हें ऊपर वर्णित अनुसार दंडित किया।

(6) डॉ.वाई.के. शर्मा ने मृतक रामकीर्तन के शव का पोस्टमार्टम किया है और अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी–27 को प्रमाणित किया है। न्यायालय के समक्ष उनके शपथ–पत्र और उनकी रिपोर्ट प्रदर्श पी–27 से यह सिद्ध होता है कि, जांच के बाद मृतक रामकीर्तन के शरीर पर निम्न मृत्यु पूर्व की बाहरी चोटें पाई गईं:–

<u>बाहरी मृत्युपूर्व घाव:</u>

1. "मृदु ऊतकों में सूजन, कोहनी से लगभग 4" ऊपर बाएं अग्रबाहु के मध्य तिहाई भाग के पार्श्व भाग में विकृति। कोहनी से लगभग 4 इंच ऊपर बाएं अग्रबाहु के पार्श्व भाग में 1"x½"x½" आकार का कटा हुआ घाव। शाफ़्ट ह्यूमरस के अस्थिभंग के कारण मांसपेशियों में थक्के पाए गए।
2. 2"x½"x1" का कटा हुआ घाव, स्टर्नल नॉच के 2½" ऊपर, मध्य रेखा के आर–पार मौजूद है, घाव में रक्त के थक्के मौजूद हैं।
3. दाहिने कान से लगभग 2" नीचे जबड़े के दाहिने कोण के नीचे 2"x½"x1" का कटा हुआ घाव।
4. 3"x½"x½" आकार का कटा हुआ घाव, गर्दन के पार्श्व त्रिभुज में बाईं ओर, बाएँ कान के लोब्यूल से लगभग 3" नीचे, अनुप्रस्थ रूप से लगाया गया है। अंतर्निहित मांसपेशियाँ कटी हुई हैं।
5. बायीं आंख के पार्श्व आधे भाग के नीचे लगभग 1½" आकार का 1"x½"x1" कटा हुआ घाव।
6. गर्दन के पिछले हिस्से में, बाएँ कान से लगभग 3" पीछे, 2"x1"x1½" का लंबवत कटा हुआ घाव। चोट संख्या 2 के स्थान पर मांसपेशी, श्वासनली, ग्रासनली को रेखा के भीतर काटा गया है। श्वासनली में रक्त जमा हो गया है। चोट संख्या 3 के स्थान पर स्वरयंत्र एवं दाहिनी कैरोटिड धमनी कटी हुई पाई गई। गर्दन की कशेरुका भी कटी हुई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) डॉ. वाई.के. शर्मा, अ.सा.–11 के मौखिक साक्ष्य और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रदर्श पी.–27 से यह भी सिद्ध होता है कि आंतरिक परीक्षण में, चोट संख्या 3 की रेखा में तीसरी ग्रीवा कशेरुका कटी हुई पाई गई, गर्दन के घाव की रेखा में गर्दन की मांसपेशियाँ कटी हुई थीं, केंद्रीय कशेरुका कटी हुई थी और कूबड़ के शाफ्ट में अस्थिभंग था। मृत्यु का कारण रीढ़ की हड्डी और रक्त वाहिकाओं की चोट के कारण हृदय गति रुकना था। मृत्यु की प्रकृति मानववध थी।

(8) मृतक रामकीर्तन के शरीर पर पाई गई चोटों, उनकी गंभीरता और डॉ. वाई.के. शर्मा के मौखिक साक्ष्य, जो विश्वसनीय पाए गए, को ध्यान में रखते हुए यह साबित हो गया है कि रामकीर्तन की मानववध थी और उसे लगी चोटों के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई।

(9) समान आशय के अग्रसरण में रामकीर्तन की हत्या करने के लिए अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिए, विद्वान विचारण न्यायालय ने सुरेंद्र उर्फ गोलू, अ.सा.–10, भुवन, अ.सा.–5, रामकुमार, अ.सा.–1 के मौखिक साक्ष्य पर भरोसा किया है और एफआईआर, प्रदर्श पी.–1, मेमोरेंडम, प्रदर्श पी.–4, पी–6 और पी–8 और कुल्हाड़ी की बरामदगी, एक छोटी कुल्हाड़ी जिस पर खून का धब्बा था।

(10) अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता खोरबहरा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। अन्य अपीलकर्ताओं का नाम एफआईआर में नहीं है। भूमि विवाद से उत्पन्न रंजिश के कारण पूरे परिवार को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। सुरेन्द्र उर्फ गोलू, अ.सा.–10, के साक्ष्य को समय–समय पर बढ़ा–चढ़ाकर पेश किया गया है। उसका न्यायालय में दिया गया बयान उसके पिछले बयान से विरोधाभासी है। पुलिस ने उसका बयान कई बार दर्ज किया। रामकुमार, अ.सा.–1 प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं था और भुवन, अ.सा.–5 भी घटना का साक्षी नहीं था। इसलिए, अभियोजन पक्ष की कहानी के समर्थन में मौखिक साक्ष्य विश्वसनीय नहीं थे और दोनों कुल्हाड़ियों पर पाए गए खून के धब्बे अभियोजन पक्ष के मामले को समर्थन देने के लिए सुसंगत नहीं हैं क्योंकि गाँव में ऐसे हथियार हर घर में घरेलू काम के लिए पाए जाते हैं और खून के स्रोत की खोज के बिना, इन कुल्हाड़ियों पर खून के धब्बों की उपस्थिति अपीलकर्ताओं के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं बनाती है। इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यद्यपि बाल गवाह सुरेंद्र उर्फ गोलू, अ.सा.–10, के साक्ष्य में कुछ विसंगति पाई गई है, लेकिन भुवन, अ.सा.–5, रामकुमार, अ.सा.–1 और दस्तावेज़, अ.सा.–1 के साक्ष्य द्वारा विधिवत पुष्टि होने पर, केवल यही उसकी पूरी गवाही को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मेमोरेंडम और खून के धब्बों वाली दो कुल्हाड़ियों की जप्ति सिद्ध हो चुकी है और पुष्टिकारी साक्ष्य के रूप में, इस मामले में जप्ति का पुष्टिकारी महत्व है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय के तर्कों और निष्कर्षों का समर्थन किया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(11) सुरेंद्र उर्फ गोलू, अ.सा.–10, एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है। उसने अपने बयान में कहा है कि खोरबहरा और उसके चार बेटों ने रामकीर्तन की हत्या की है। सुबह करीब 8:30 बजे, वह, उसकी दादी और चाचा रामकीर्तन बाड़ी में थे। रामकीर्तन बाड़ी की घेराबंदी कर रहा था और वह और उसकी दादी रामकीर्तन के पास काँटेदार झाड़ियाँ लाकर उसकी मदद कर रहे थे। तभी खोरबहरा अपने सभी बेटों के साथ कुल्हाड़ी, चाकू और डंडा लेकर वहाँ आया और सभी आरोपियों ने रामकीर्तन पर हमला कर दिया। उन्होंने रामकीर्तन की गर्दन, पीठ और बाएँ हाथ पर हमला कर उसे घायल कर दिया। चोटों से खून बहने लगा। उसने और उसकी दादी दोनों ने शोर मचाया और उसके पिता को बुलाने के लिए उसकी ओर दौड़े। उसके पिता दीवार के उस पार थे, जो घटना की खबर सुनकर मौके पर पहुँचे। सभी आरोपियों ने देखा कि रामकुमार आ रहा है, इसलिए वे वहां से भाग गए।

(12) सुरेन्द्र उर्फ गोलू का पुलिस द्वारा लिया गया बयान प्रदर्श डी–3 है। यह बयान पुलिस द्वारा 25–4–2002 को, यानी घटना की तारीख को दर्ज किया गया था। सुरेंद्र उर्फ गोलू, अ.सा.–10 ने अपने प्रति–परीक्षण में कहा है कि पुलिस ने उसका बयान उसी दिन दर्ज किया था जिस दिन उसके चाचा रामकीर्तन की मृत्यु हुई थी। हालाँकि सुरेंद्र उर्फ गोलू, अ.सा.–10 ने अपने प्रति–परीक्षण में स्वीकार किया है कि 10–12 दिन बाद पुलिस ने उसका बयान फिर से लिया था, लेकिन अभिलेख में ऐसा कोई बयान दर्ज नहीं है। लंबोदर पटेल, अ.सा.–9, जो विवेचना अधिकारी हैं, ने अपने बयान में कहा है कि 11–6–2002 को उनके द्वारा गोलू उर्फ सुरेन्द्र का अतिरिक्त बयान, अर्थात् प्रदर्श डी.–4, दर्ज किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि 11–6–2004 को पुलिस द्वारा दर्ज किया गया प्रदर्श डी.–4, सुरेन्द्र उर्फ गोलू द्वारा संदर्भित बयान है, जिसे पुलिस द्वारा पुनः दर्ज किया गया है। सुरेन्द्र उर्फ गोलू, अ.सा.–10 ने प्रति–परीक्षण में बताया कि उसने अपने बयान में कहा था कि सभी आरोपी चाकू लेकर आये थे। उसने आगे बताया कि वह खोरबहरा के बड़े बेटे का नाम नहीं जानता था, इसलिए उसने पुलिस को उसका नाम नहीं बताया। उन्होंने यह भी बताया कि जब उन्होंने शोर मचाया तो आरोपी भागे नहीं, बल्कि उनके दादा, चाचा और पिता के आने के बाद आरोपी भागे। समय के बारे में भी, गवाह ने बताया कि वे लगभग 8:30 बजे अनाज भंडार में थे। ये सभी तथ्य या तो लोप से या विरोधाभासी, उनके साक्ष्य को अविश्वसनीय सिद्ध करने के लिए पेश किए गए हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) *गवाहों की तीन श्रेणियां हैं; पहला पूरी तरह से विश्वसनीय, दूसरा आंशिक रूप से विश्वसनीय और तीसरा पूरी तरह से अविश्वसनीय। गवाहों को इन श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए कोई मापदंड तय नहीं किया जा सकता है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से, गवाहों को वर्गीकृत किया जाना है। एक गवाह जो पूरी तरह से विश्वसनीय है, उस पर दोषसिद्धि या बरी किए जाने के लिए भरोसा किया जा सकता है। एक गवाह जो आंशिक रूप से विश्वसनीय है और उसके साक्ष्य का वह हिस्सा जिस पर भरोसा किया जा सकता है, उसे अन्य साक्ष्य और परिस्थितियों के आधार पर पुष्ट किया जाना आवश्यक है और ऐसे हिस्से पर, यदि भरोसा किया जाता है, तो दोषसिद्धि या दोषमुक्ति किए जाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। एक गवाह जो शुरुआत में अविश्वसनीय है, उस पर दोषसिद्धि या दोषमुक्ति किए जाने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है।*

(14) इस मामले में, अभियोजन पक्ष ने गवाह सुरेन्द्र उर्फ गोलू को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में पेश किया है। निस्संदेह, वह घटना के समय मौजूद था और उसने घटना देखी थी और उसके बाद अपने पिता को भी

पूरी कहानी सुनाई थी। उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि उसका साक्ष्य कुछ हद तक उसके पिछले बयान से विरोधाभासी है और उसने न्यायालय में अपने बयान को बढ़ा–चढ़ाकर पेश किया है। अतः, इन विरोधाभासों को ध्यान में रखते हुए, सुरेन्द्र उर्फ गोलू का साक्ष्य समग्र रूप से विश्वसनीय नहीं है और उसके साक्ष्य पर कितना भरोसा किया जा सकता है, यह अन्य साक्ष्यों और परिस्थितियों के आधार पर तय किया जाना है।

(15) रामकुमार, अ.सा.–1 ने अपने बयान में कहा है कि वह अपने घर पर कुछ मरम्मत का काम करा रहे थे। उस समय उनके बेटे गोलू ने चिल्लाकर कहा कि "कक्का को मार डाले हैं"। रामकीर्तन गोलू का चाचा है। यह सुनकर वह अनाज भंडार की ओर दौड़े और देखा कि सभी अपीलकर्ता रामकीर्तन पर हमला करने के बाद भाग रहे थे। उनके पास कुल्हाड़ी, डंडा और चाकू था। उनकी गर्दन, गाल और हाथ पर कई चोटें पाई गईं, जहां से खून निकल रहा था। प्रति–परीक्षण में उन्होंने स्वीकार किया है कि जब उन्हें बताया गया कि रामकीर्तन मौके पर मृत पड़ा है तो वह मौके पर गए। उन्होंने आगे कहा कि गोलू ने मौके से आवाज लगाई और वह आवाज सुनकर वह मौके पर गए। प्रति–परीक्षण में उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि जब गोलू चिल्लाया तो वह मौके पर दौड़े और रामकीर्तन को वहां मृत पड़ा देखा। प्रति–परीक्षण में उनके द्वारा स्वीकार किए गए बयान से यह स्पष्ट है कि घटना के समय वह मौके पर मौजूद नहीं थे।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(16) प्रति–परीक्षण में, उसने पुलिस के समक्ष अपनी रिपोर्ट और बयान में कहा कि सभी आरोपी कुल्हाड़ी, डंडा और चाकू लेकर भाग रहे थे। उसने यह भी बताया कि उसने सभी आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है और सभी पांचों आरोपियों के नाम भी बताए हैं। उसके बयान से पता चलता है कि मौके पर पहुँचने के बाद उसने शोर मचाया। तभी रामचरण, गोविंद और कोटवार का बेटा गजेंद्र आ गए, जिसके बाद उसने थाने जाकर अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 दर्ज कराई।

(17) रिपोर्ट, प्रदर्श पी.–1 सहायक उपनिरीक्षक एम.आर. सिन्हा, अ.सा.–8 द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने इसे साबित किया। रिपोर्ट, प्रदर्श पी–1 में, रामकुमार ने बयान दिया है कि उसका बेटा गोलू अनाज भंडार से दौड़ता हुआ आया और बताया कि खोरबहरा ने रामकीर्तन को कुल्हाड़ी से मार दिया है, इसलिए वह छत से नीचे उतरा और अनाज भंडार में गया, जहाँ उसने अपने भाई रामकीर्तन का मृत शरीर देखा और उसकी गर्दन और सिर पर कुल्हाड़ी से चोट के निशान भी देखे। उन्होंने यह भी बताया कि दुश्मनी के परिणामस्वरूप भूमि विवाद के कारण खोरबहरा ने उसके भाई रामकीर्तन को मार डाला। रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 से, यह स्पष्ट है कि उसने घटना नहीं देखी थी, लेकिन घटना के तुरंत बाद उसके बेटे गोलू से

सूचना मिली कि खोरबहरा ने रामकीर्तन को मार दिया है, वह घटनास्थल पर गया और अपने भाई को मृत पाया। वह कोटवार के पास गया, कोटवार तथा गवाहों को घटना की बारे में बताया उसके बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया। उनकी रिपोर्ट, प्रदर्श पी–1 और बयान से, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साक्ष्य पर यही भरोसा किया जा सकता है कि घटना के समय वे अपनी छत पर थे, उनका बेटा गोलू रामकीर्तन के साथ अनाज भंडार में था। गोलू ने घटना देखी, जिसने आकर रामकुमार को बताया कि खोरबहरा ने रामकीर्तन की हत्या कर दी है, इसलिए उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई। जहाँ तक उनके प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने या अपीलकर्ताओं को हथियार लेकर मौके से भागते हुए देखने से संबंधित उनके साक्ष्य का सवाल है, उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(18) भुवन (अ.सा.–5) ने अपने बयान में बताया कि सुबह करीब 9–10 बजे वह अपने घर में था। उसने बाड़ी से रामकीर्तन की आवाज़ सुनी, वह बाड़ी की तरफ़ गया। उसने देखा कि आरोपी वहाँ से आ रहे हैं। तनेश्वर और डालेश्वर कुल्हाड़ी लिए हुए थे, खोरभहरा के पास कोई हथियार नहीं था। बाड़ी में उसने रामकीर्तन का शव देखा जिस पर कई कटी हुई चोंटे थी। प्रति–परीक्षण में उसने आगे कहा कि रामकीर्तन चिल्लाया था "बचावा ग"। पुलिस द्वारा दर्ज किए गए उसके बयान में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि रामकीर्तन चिल्लाया था "बचावा ग", लेकिन यह लोप महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए उसके बयान से इतना तो माना जा सकता है कि जब वह रामकीर्तन की चीख सुनकर रामकीर्तन के अनाज भंडार की ओर गया तो उसने वहाँ से तानेश्वर, डालेश्वर और खोरबहरा को आते देखा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(19) रामकुमार के साथ पुलिस थाना गए गजेंद्र कुमार (अ.सा.–6) ने अपने बयान में कहा कि रामकुमार ने फोन करके बताया कि खोरबहरा और अन्य लोगों ने उसके भाई की हत्या कर दी है, इसलिए रिपोर्ट दर्ज कराना है। उसने रामकीर्तन का शव देखा था। प्रति–परीक्षण में उसने स्वीकार किया कि रामकुमार ने उसे नहीं बताया था कि वह मौके पर था। इसलिए, उसका बयान केवल इस तथ्य की पुष्टि करता है कि रामकुमार ने उसे खोरबहरा और अन्य लोगों द्वारा उसके भाई की हत्या के बारे में बताया था। इस गवाह ने अन्य व्यक्तियों के नाम नहीं बताए। इसलिए, जहाँ तक खोरबहरा का संबंध है, उस सीमा तक उसका बयान विश्वसनीय है।

(20) प्रदर्श पी–8, कसडोल के थाना प्रभारी, लम्बोदर पटेल द्वारा दर्ज किया गया खोरबहरा का मेमोरेंडम बयान है। प्रदर्श पी–8 के तहत खोरबहरा ने एक कुल्हाड़ी की बरामदगी के तथ्य की खोज की और प्रदर्श पी–9, खोरबहरा की निशानदेही पर खोरबहरा के घर से एक कुल्हाड़ी की बरामदगी की है। लम्बोदर

पटेल (अ.सा.–9) ने अपने साक्ष्य में कहा कि खोरबहरा ने मेमोरेंडम कथन दिया था कि उसने कुल्हाड़ी छिपाई है जिसे वह बरामद करवा देगा। प्रदर्श पी–8 बयान उसके द्वारा दर्ज किया गया है। खोरबहरा के घर से एक कुल्हाड़ी बरामद की गई थी जिसे उसके पटाव में रखा गया था जिसे प्रदर्श पी–9 के तहत जप्त कर लिया गया है। मेघनाथ, अ.सा.–2 ने मेमोरेंडम और बरामदगी के तथ्य की पुष्टि की। इन दोनों गवाहों की गवाही से यह साबित होता है प्रदर्श पी–4 अपीलकर्ता तनेश्वर का मेमोरेंडम कथन है, जिसने अपने बयान में इस तथ्य का प्रकटीकरण किया कि उसने अपने पटाव में एक कुल्हाड़ी छिपाकर रखी है। प्रदर्श पी–5 के अनुसार तनेश्वर कि निशानदेही पर एक कुल्हाड़ी जप्त की गई है। लंबोदर पटेल (अ.सा.–9) और मेघनाथ (अ.सा.–2) के बयानों से, मेमोरेंडम कथन प्रदर्श पी–4 अब तक कुल्हाड़ी छिपाने और उसके बाद जप्त के संबंध में तथ्य के प्रकटीकरण से संबंधित है, जिसके अनुसार प्रदर्श पी–5 के अनुसार अपीलकर्ता तनेश्वर के कहने पर एक कुल्हाड़ी जप्त की गई है।

(21) प्रदर्श पी–6 डालेश्वर का मेमोरेंडम कथन है। डालेश्वर ने प्रकटीकरण किया कि उसने अपने परिसर में डंडा छिपाकर रखा था। अपीलकर्ता डालेश्वर के कहने पर प्रदर्श पी–7 के तहत डंडा जप्त कर ली गई है। लंबोदर पटेल (अ.सा. –9) और मेघनाथ (अ.सा.–2) के साक्ष्य से प्रकटीकरण और बरामदगी दोनों सिद्ध हो चुके हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(22) लंबोदर पटेल, अ.सा.–9 ने अपने बयान में कहा है कि अपीलकर्ता तनेश्वर के कब्जे से जप्त एक कुल्हाड़ी और अपीलकर्ता खोरबहरा के कब्जे से जप्त एक अन्य कुल्हाड़ी उसने प्रदर्श पी–18 और प्रदर्श पी–19 के जरिए परीक्षण के लिए चिकित्सा अधिकारी के पास भेजी थी। डॉ. वाईके शर्मा, अ.सा.–11 ने अपने बयान में कहा कि दो कुल्हाड़ियां 18–5–2002 को परीक्षण के लिए लाई गई थीं। एक कुल्हाड़ी में 2 इंच की धार है जिससे रामकीर्तन को आई चोट संख्या–4, कुल्हाड़ी से आ सकती है। एक अन्य कुल्हाड़ी की धार 2.1 इंच है। रामकीर्तन के शरीर पर पाई गई चोट संख्या 1, 2, 3 और 5 ऐसे ही कुल्हाड़ी से आ सकती हैं। दोनों गवाहों के साक्ष्य विश्वसनीय हैं। प्रदर्श पी–26 सहायक रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट है। सहायक रासायनिक परीक्षक ने दोनों कुल्हाड़ियों की परीक्षण के बाद दोनों जप्त कुल्हाड़ियों पर खून के धब्बे पाए जाने की रिपोर्ट दी है।

(23) जहाँ तक रामकीर्तन की हत्या में अपीलार्थी खोरबहरा वर्मा की संलिप्तता का प्रश्न है, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी गोलू उर्फ सुरेन्द्र का साक्ष्य उपलब्ध है। प्रदर्श पी–1 वह एफआईआर है जिससे स्पष्ट है कि घटना को देखने के बाद गोलू अपने घर की ओर दौड़ा और अपने पिता को बताया कि खोरबहरा ने रामकीर्तन को

कुल्हाड़ी से मार डाला है। यद्यपि रामकुमार प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, परन्तु उसके साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि गोलू से सूचना पाकर वह घटनास्थल पर आया, रामकीर्तन का शव देखा और गजेन्द्र व अन्य लोगों के साथ पुलिस थाने जाकर प्रदर्श पी–1 रिपोर्ट दर्ज कराई। भुवन, अ.सा.–5, जो रामकीर्तन की चीख–पुकार सुनकर अनाज भंडार की ओर जा रहा था, उसने अपीलकर्ता खोरबहरा को वहाँ से आते देखा। अपीलकर्ता खोरबहरा की निशानदेही पर एक कुल्हाड़ी जप्ति की गई है, जिसमें खून के धब्बे थे और चिकित्सकीय साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि खोरबहरा से जप्त की गई कुल्हाड़ी से चोटें संख्या 1, 2, 3 और 5 हो सकती हैं। इसलिए, इन सभी साक्ष्यों से, अपराध में खोरबहरा वर्मा की संलिप्तता साबित हुई है।

(24) जहां तक अपीलकर्ता तनेश्वर वर्मा का संबंध है, हालांकि सुरेंद्र उर्फ गोलू (अ.सा.–10) ने अपने बयान में यह प्रमाणित किया कि खोरबहरा और उसके सभी बेटों ने रामकीर्तन को मार डाला लेकिन पहले वर्णित विरोधाभास और लोप स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि उन्होंने खोरबहरा के बड़े बेटे का नाम नहीं लिया लेकिन उनके पुलिस बयान में तनेश्वर वर्मा का नाम है। जहां तक तनेश्वर वर्मा का संबंध है, यह महत्वपूर्ण विरोधाभास है। घटना के तुरंत बाद गोलू ने अपने पिता रामकुमार को जानकारी दी। रामकुमार ने गजेंद्र और अन्य को तथ्य की जानकारी दी और रिपोर्ट यानी प्रदर्श पी–1 दर्ज कराई। गजेंद्र, अ.सा.–6 ने यह नहीं कहा कि रामकुमार ने उन्हें सूचित किया कि तनेश्वर वर्मा ने भी उसके भाई को मार डाला। प्रदर्श पी–1 में, जो कि रामकुमार द्वारा दी गई रिपोर्ट है, में हमलावर के रूप में तनेश्वर वर्मा का नाम शामिल नहीं है। इसलिए, सुरेंद्र उर्फ गोलू का बयान त्रुटियों एवं महत्वपूर्ण विरोधाभासों से ग्रसित और एफआईआर में इस अपीलकर्ता का नाम नहीं होने के कारण, इस अपीलकर्ता को रामकीर्तन की हत्या में शामिल होने में उचित संदेह से परे शामिल नहीं किया जा सकता है।

(25) जहां तक अपीलकर्ता डालेश्वर वर्मा का संबंध है, सुरेन्द्र उर्फ गोलू ने उसके खिलाफ गवाही दी थी, लेकिन उसके विरोधाभासी बयान, रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 में उसका नाम न होना, जो कि घटना के तुरंत बाद रामकुमार, अ.सा.–1 द्वारा दर्ज कराई गई थी, तथा गवाह गजेन्द्र कुमार, अ.सा.–6 के बयान में उसका नाम न होना, को ध्यान में रखते हुए, यह युक्तियुक्त संदेह से परे नहीं माना जा सकता कि डालेश्वर वर्मा भी रामकीर्तन की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है।

(26) रामकुमार, अ.सा.–1 ने अपनी प्रति–परीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया कि जिस जमीन पर घटना हुई थी, उससे संबंधित एक व्यवहार वाद उनके द्वारा लाया गया था, लेकिन वे वाद हार गए और न्यायालय ने अपीलकर्ताओं के पक्ष में जमीन का स्वत्व और कब्जा मान लिया। उन्होंने आगे स्वीकार

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

किया कि उनके भाई रामकीर्तन उक्त जमीन की घेराबंदी कर रहे थे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उस अन्न भंडार में, उनके भाई रामकीर्तन एक कुल्हाड़ी और सब्बल लेकर गए थे। सुरेंद्र उर्फ गोलू (अ.सा.–10) के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि रामकीर्तन जमीन की घेराबंदी कर रहे थे और वे उसे कंटीली झाड़ियां उपलब्ध करा रहे थे। इन परिस्थितियों में, निश्चित रूप से खोरबहरा वर्मा को संपत्ति को बेदखल होने से बचाने का अधिकार था, लेकिन उनका अधिकार भारतीय दंड संहिता के अध्याय IV में परिकल्पित प्रतिबंधों के अधीन था। रामकीर्तन के महत्वपूर्ण अंग पर कुल्हाड़ी जैसे खतरनाक हथियार से आई चोटें बड़ी संख्या में हैं जो स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता द्वारा गैर इरादतन हत्या करने के आशय को साबित करती हैं। यद्यपि संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार अपीलकर्ता खोरबहरा के पास था लेकिन वह खेत में कुल्हाड़ी से लैस होकर आया और जानबूझकर खतरनाक हथियार कुल्हाड़ी से कई चोटें पहुंचाईं और इसके परिणामस्वरूप रामकीर्तन की खेत में ही अचेत अवस्था में मृत्यु हो गई। चोटों की संख्या, इस्तेमाल किए गए हथियार और महत्वपूर्ण अंगों जहां चोटें पहुंचाई गई थीं, को ध्यान में रखते हुए, यह स्थापित होता है कि अपीलकर्ता खोरबहरा पूर्वनियोजित तरीके से कुल्हाड़ी से लैस होकर आया और जानबूझकर रामकीर्तन की हत्या की, इसलिए, न तो उसका कृत्य संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार के दायरे में आता है और न ही भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद संख्या 2 के अंतर्गत आता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(27) उपरोक्त चर्चा से हमारा यह मत है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी संख्या 2, तनेश्वर वर्मा और अपीलार्थी संख्या 3, डालेश्वर वर्मा के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्णतः विफल रहा है, किन्तु जहां तक अपीलार्थी खोरबहरा वर्मा का संबंध है, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय हत्या का अपराध सिद्ध हो चुका है।

(28) परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता तनेश्वर वर्मा और डालेश्वर वर्मा पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत अधिरोपित दोषसिद्धि और दण्डादेश निरस्त किए जाने योग्य है और वे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत आरोप से दोषमुक्त किए जाने के हकदार हैं। अब तक अपीलकर्ता खोरबहरा वर्मा पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत आरोप नहीं लगाया गया है, बल्कि वह भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दण्डनीय हत्या का दोषी है और दण्डादेश के योग्य है।

(29) परिणामस्वरूप, अपील आंशिक रूप से सफल होती है। अपीलकर्ता खोरबहरा वर्मा के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में परिवर्तित किया जाता है तथा अपीलार्थी खोरबहरा वर्मा पर विचारण न्यायायल द्वारा लगाई गई दंडादेश को बरकरार रखा जाता है। अपीलकर्ता तनेश्वर वर्मा और डालेश्वर वर्मा पर लगाई गई दोषसिद्धि और दंड को अपास्त किया जाता है और उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत आरोप से बरी किया जाता है। यह निर्देश दिया जाता है कि यदि किसी अन्य मामले में वांछित न हो, तो दोनों को तत्काल रिहा कर दिया जाए।

सही/–
एल.सी. भादू
न्यायाधीश

सही/–
वी.के. श्रीवास्तव
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By – Shubham Verma